भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- **2292**

उत्तर देने की तारीख-09/12/2024

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना हेतु पात्रता मानदंड

†2292**. श्री जी. कुमार नायक:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के लिए पारिवारिक आय सीमाओं, ऋण सीमाओं आदि सहित पात्रता मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों जैसे हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं;

(ग) इस योजना से वार्षिक रूप से लाभान्वित होने वाले संभावित छात्रों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या प्रत्येक राज्य और सामाजिक वर्ग के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) क्या 10 लाख रुपए की ऋण सीमा, विशेषकर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए, की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है और इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(च) क्या सरकार की बढ़ती शिक्षा लागत और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अवसरों तक संभावित पहुंच से निपटने के लिए इस योजना की समीक्षा करने और इसका विस्तार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (च): भारत सरकार ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना पीएम-विद्यालक्ष्मी को अनुमोदित किया है ताकि वित्तीय बाधाएं भारत के किसी भी युवा को भारत में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में रूकावट न बनें। इस योजना के अंतर्गत एससी/एसटी जैसे उपेक्षित समुदायों सहित सभी सामाजिक श्रेणियों के छात्र कवरेज के पात्र हैं। पात्रता मानदंड, पारिवारिक आय सीमा, ऋण सीमा सहित योजना के विस्तृत दिशानिर्देश https://www.education.gov.in/scholarships-education-loan-4 पर उपलब्ध हैं।

*****